

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र./औ.प्र./2018/46

भोपाल/दिनांक 2/05/2018

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्य प्रदेश ।


विषय:-

औषधियों को प्राप्त करने के उपरांत दवा नीति अनुसार गुणवत्ता परीक्षण हेतु भेजे जाने के संबंध में ।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि औषधियों को दवा नीति के अनुसार एम.आर.सी. जनरेट करने किये जाने की दिनांक से तीन दिवस के भीतर एन.ए.बी.एल. प्रयोगशाला भेजे जाने का प्रावधान है वर्तमान में म.प्र. प.हे.स.कार्पो.लि. द्वारा पांच एन.ए.बी.एल. अधिकृत प्रयोगशाला को अनुबंध किये जाने की नवीन निविदा प्रक्रियाधीन है ।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि जब तक आपके औषधि भण्डार गृह में प्राप्त की गई औषधियों का अनुबंध (Rate Contract) म.प्र.प.ले.स.कार्पो.लि. द्वारा अनुबंधित प्रयोगशाला से नहीं है तो उस औषधि/सामग्री को अपने अधीनस्थ औषधि निरीक्षक के माध्यम से शासकीय प्रयोगशाला को भेजा जाना सुनिश्चित करें साथ ही स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उपयोग में आने वाली औषधियां (Programmatic Drugs) की भी सेम्पल भेजकर जांच कराई जावें एवं भेजे गये नमूनों की जानकारी से कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।


उप संचालक (औ.प्र.),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./औ.प्र./2018/47


भोपाल/दिनांक 2/05/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ प्रेषित।

01. संचालक, उपार्जन, स्थानीय कार्यालय ।
02. प्रबंध संचालक, म.प्र.पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल ।
03. मिशन संचालक, एन.एच.एम., भोपाल ।
04. समस्त क्षेत्रिय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश ।

(Gm. CT)

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ
सर्विसेस कार्पोरेशन लि.
भोपाल


उप संचालक (औ.प्र.),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश